

सेल फोन में आपातकालीन चेतावनी संदेश

स्रोत: बीएस

हाल ही में **दूरसंचार विभाग (DoT)** ने अनिवार्य किया है कि भारत में सभी **फीचर फोन** में हिंदी और अंग्रेज़ी में **आपातकालीन संदेशों** को ऑटो-रीडआउट करना अनिवार्य होगा। इस आदेश ने **मोबाइल नरिमाताओं के बीच चिंता** उत्पन्न कर दी है।

- **फीचर फोन** बेसकि सेल फोन की तुलना में **अधिक सुविधाएँ** प्रदान करते हैं लेकिन **स्मार्टफोन जतिने उन्नत नहीं** होते हैं।
- **दूरसंचार विभाग के आदेश का मुख्य प्रावधान:**
 - भारत में बेचे जाने वाले **सभी फोनों को** हिंदी और अंग्रेज़ी में **आपातकालीन संदेशों के ऑटो-रीडआउट** करना अनिवार्य होगा, साथ ही नरिमाताओं को **पूर्ण भाषा समर्थन** प्राप्त होने तक **प्रत्येक वर्ष चार अतिरिक्त भारतीय भाषाओं के लिये समर्थन जोड़ना** होगा।
 - मानक स्थितियों के तहत फोनों में **चेतावनी संकेत** (साउंड, वाइब्रेशन, लाइट) **30 सेकंड तक** तथा **ऑटो-रीडआउट वाले संदेशों के लिये 15 सेकंड तक** या यूज़र द्वारा स्वीकार किये जाने तक बने रहने चाहिये।
- **फोन नरिमाताओं की चिंताएँ:**
 - फीचर फोन में **टेक्स्ट-टू-ऑडियो** रूपांतरण के लिये **पर्याप्त मेमोरी का अभाव** होता है।
 - नई आवश्यकताओं से **उत्पादन लागत बढ़ेगी**।
 - फोन का **रडिज़ाइन** करने से **उत्पादन समयसीमा प्रभावित** होगी।
 - छोटे भारतीय ब्रांडों को **भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (आपदा अलर्ट के लिये सेल ब्रॉडकास्टिंग सेवा) अधिनियम, 2023** का अनुपालन करने में **चुनौतियों का सामना** करना पड़ सकता है, जिससे उनकी बाज़र स्थिति ख़तरे में पड़ सकती है।
 - अधिनियम में यह प्रावधान है कि **सेल प्रसारण क्षमता के बिना भारत में किसी भी स्मार्टफोन या फीचर फोन का** नरिमाण या बिक्री नहीं की जा सकती।

अधिक पढ़ें: [आपातकालीन चेतावनी प्रणाली](#)